हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्यालय उपायुक्त चम्बा जिला चम्बा।

संख्या–चम्बा–।।।–10(3546)/2021– 3778 दिनांक चम्बा 4 फरवरी, 2022

प्रेषित,

एम0/एस0 सांई इंजीनियरिंग फांउडेशन,
सांई भवन, सेक्टर–4,
नया शिमला–171009 (हि0 प्र0)।

विषयः – Regarding diversion of 13.3082 hectare of forest land in favour of Sai Engineering Foundation, Sai Bhawa, Sector-4, New Shimla-171009, HP. for the construction of Tundah-II HEP (24 MW) within the jurisdiction of Sub Division Bharmour, District Chamba, HP.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या SEF/SML/2021-2816-21 दिंनाक 16 अक्तुबर, 2021 के सन्दर्भ में मांगी गई सूचना क्षेत्रिय राजस्व इकाई से तैयार करवाई गयी। मुताबिक रिपोर्ट उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) भरमौर, जिला चम्बा कर्म व मीटर का औचित्य इस प्रकार से है।

<u>मद संख्या–2</u>

मद संख्या–2 के सन्दर्भ में निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अनुसार जिला चम्बा में कानूनी बंदोबस्त वर्ष 1954 से 1960 के बीच हुआ है तथा जिले का पैमाना 56 इंच प्रति करम के हिसाब से दर्ज कागजात है। एम0/एस0 सांई इंजीनियरिंग फांउडेशन के तुन्दाह–।। जल विघुत परियोजना मे बनाये जाने वाली ट्रांसमिशन लाईन कि कॉरिडोर के लिए 15 मीटर भूमि अर्जित की जानी है। परन्तु राजस्व अभिलेख में करम के हिसाब से पैमाइश की गई है इसलिए मीटर का मौका ततीमा बनाया जाना असंभव है, हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के अनुसार 1 करम = 1.4224 मीटर के बराबर होता है तथा करम को पूरा–पूरा लेना पडता है। इसलिए ट्रांसमिशन लाईन कि कॉरिडोर का मौका ततीमा मे चौडाई 11 करम ली गई है जो कि 11 करम = 11X1.4224=15.64 मीटर बनता है, अगर चौडाई 10 करम ली जाती है तो 10X1.4224=14.22 मीटर ही बनता है जो कि 15 मीटर से कम आता है। तदानुसार परियोजना के निर्माण के लिए कुल चौडाई बढाकर 11 करम ही ली गई है। यानि 10.5455 करम ना लेते हुए बढाकर 11 करम लिया जाना उचित है। अतः वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत भू–हस्तांत्रण की प्रक्रिया अगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाती है।

<u>मद संख्या–3</u>

मद संख्या 3 के सन्दर्भ मे निवेदन है तहसील भरमौर में प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) के लिए कोई भी Waste Land उपलब्ध नही है।

भवदीय,

04/02/22

उपायुक्त चम्बा,
जिला चम्बा।